समाहरणालय जमुई
(विधि शाखा)

उद्घोषणा

(वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम- 1972 की धारा-21 के अन्तर्गत)

बिहार सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना सं0 एस0 ओ0 627 दिनांक 22.7.1987 एवं एस0 ओ0 सं0 643 दिनांक 22.7.1987 द्वारा मुंगेर जिला (अब जमुई जिला) में अवस्थित क्रमशः नागी डैम एवं नकटी डैम के लिए सिंचाई विभाग द्वारा अर्जित क्षेत्रों को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत नागी डैम पक्षी आश्रयणी तथा नकटी डैम पक्षी आश्रयणी घोषित किया गया है। इन घोषित पक्षि आश्रयणियों के लिए वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 19 से 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाहर्त्ता, जमुई द्वारा धारा-21 के अन्तर्गत उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) दी जाती है।

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत घोषित नागी डैम पक्षी आश्रयणी एवं नकटी डैम पक्षी आश्रयणी का रकबा क्रमशः 191.51 हेक्टेयर एवं 332.85 हेक्टेयर है, जिसकी पूर्ण विवरणी इस प्रकार है :-

नागी डैम पक्षि आश्रयणी

क्र0	ग्राम का नाम	थाना एवं सं0	टोला एवं टोला नं0	प्लॉट नं0	क्षेत्रफल (हे0)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	महापुर	चकाई-3	धाराजोर-44	3743, 3744, 3745 (अंश) 4087, 4038 (अंश) 4040 (अंश)	28.00	
2.	महापुर	चकाई-3	तारापुरा-टपा-43	1, 2 (अंश) 3, 4, 5, 6 (अंश) 11, 12, 13 *8 14 (अंश) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (अंश) 29 (अंश) एवं 30	50.57	
3.	महापुर	चकाई-3	करमा-49	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (अंश) एवं 464 (अंश)	49.17	
4.	महापुर	चकाई-3	हरहेटा-15	35 (अंश), 98 (अंश), 99 (अंश) 280 (अंश) 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463,	63.77	

468,469,470,471,
472,473,477(अंश)
478(अंश)482(अंश)
483(अंश)544(अंश)
522(अंश)

कुल- 191.51

नकटी डैम पक्षी आश्रयणी

क्रमांक	ग्राम का नाम	थाना एवं सं0	टोला एवं टोला सं0	प्लाट सं0	क्षेत्रफल (हे0में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	टामना	धकाई-2	कठधजरा-9	1422(अंश)1424,1425, 1425,1427,1428,1429, 1430,1431,1432,1433, 1434,1435,1436,1437, 1438,1439,1440,1441, 1442,1443,1444,1445, 1446	29.31	
2.	टामना	काई-2	कुसौना-10	9,10,11,12,13,31,32,33, 34,35,37,38,39,40,42, 43,44,45,46,47,48,49, 50,51,52,53,54,55,56, 58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,78,79,80,224, 225,226,227,228,229, 230,231,236,237,238, 239,240,241,245,Z 374, 375,376,377,378,379, 3755,1390,14(अंश),21(अंश)30(अंश)57अंश 67(अंश)68(अंश)69(अंश)81 (अंश)287(अंश)326(अंश) 327(अंश)358(अंश)392(अंश) 393(अंश)394(अंश)356(अंश) 232(अंश)233(अंश)242(अंश)	144.63	
3.	टामना	काई-2	भैलबिन्दा-11	380,381,382,384,385,433, 434,435,436,503,507,509, 513,514,515,516,521,522, 523,524,525,526,527,528, 529,530,531,532,533,534,	11.75	

1	2	3	4	5	6	7
				535,536,537,538, 539,540,541,542, 543,544,545,546, 547,549,561,562, 563,564,565,567, 568(अंश),388(अंश) 437(अंश)504(अंश) 519(अंश)520(अंश) एवं 570(अंश)		
4.	टमना	ककाई-3	कुमरी-12	1386,1388,1389,1392 1393,1394,1395,1396, 1397,1398,1399,1400, 1401,1402,1403,1404(अंश)	13.06	
5.	मंगरार	ककाई-1	सरैया-25	1,5,7,8,9,10,11,24,219, 223,225,239,247,248,250, 252,253,254,255,257,258, 259,260,261,262,263,264, 266,267,268,269,270,271, 272,273,274,275,276,277, 278, 4(अंश)6(अंश)22(अंश) 23(अंश)25(अंश)175(अंश) 218(अंश)~~175(अंश)218(अंश)~~ 220(अंश)245(अंश) 237(अंश) 238(अंश)246(अंश)249(अंश) 251(अंश)265(अंश)एवं 279(अंश)	77.28	
6.	मंगरार	ककाई-1	बेजला-19	58,59,60,61,62,63,251, 252,253,254,255,256, 257,258,259,260,261, 262,263,264,265,56(अंश) 57(अंश)247(अंश) एवं 266(अंश)	61.82	
					कुल- 332.85	

ये दोनों आश्रयणी 24°45′30 तथा 24°51′30 अक्षांश एवं 86°20′पु0 तथा 86°30′पु0 देशान्तर के बीच अवस्थित है । विस्तृत विवरण एवं अन्य सुचनाओं के लिए सहायक वन संरक्षक कार्यालय,जमुई वनरोपण प्रमंडल,जमुई जिला-जमुई से सम्पर्क किया जा सकता है ।

1. कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त घोषित नागी डैम पक्षी आश्रयणी एवं नकटी डैम पक्षी आश्रयणी के क्षेत्र पर अपना किसी प्रकार का दावा अगर हो तो इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से दो माह के अन्दर समाहर्त्ता, जमुई को लिखित रूप में कर सकता है । सभी ~~xxxx~~ दावे सहायक वन संरक्षक कार्यालय, जमुई वनरोपण प्रमंडल, जमुई के कार्यालय में कार्य अवधि में प्राप्त किए जाऐंगे । दावों में स्पष्ट रूप से दावा की प्रकृति, प्रकार एवं परिमाण का विस्तृत उल्लेख करना है तथा अगर कोई क्षतिपूर्ति हो तो उसका भी विवरण एवं राशि का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

2. समाहर्त्ता द्वारा प्राप्त सभी दावों के संबंध में जाँच की जाएगी एवं जाँच के ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ क्रम में दावा कर्ताओं को अपने दावा से संबंधित साक्ष्य एवं पर्याप्त प्रमाण पेश करना होगा ।

3. दावा पूर्ण/आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार समाहर्त्ता, जमुई को प्रदत्त है । दावों के त्वरित निष्पादन हेतु निम्न तिथियों तथा उनके सामने अंकित स्थानों पर समाहर्त्ता, जमुई द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा ।

तिथि	स्थान	समय
10.2.98	बेजला	11.00 बजे पूर्वा0
17.2.98	लहनियाटांड़	वही

ह0/-
समाहर्त्ता, जमुई

ज्ञापांक 350 /विधि, दिनांक 25-11-97

प्रतिलिपि- महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना को इस उद्घोषणा की दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विशेष दूत

सर्वोच्च प्राथमिकता

सर्वोच्च न्यायालय का मामला

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0 337/95 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में इस उद्घोषणा ~~xx~~ को दिनांक 28.11.97 के पूर्व समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है ।

अतएव अनुरोध है, कि दिनांक 27.11.97 के दैनिक संस्करण में इस उद्घोषणा को प्रकाशित कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक : यथोक्त

ह0/-
समाहर्त्ता, जमुई

ज्ञापांक 350 /विधि, दिनांक 25-11-97

प्रतिलिपि- उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट शाखा, समाहरणालय जमुई को इस उद्घोषणा की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

जिला गजट के असाधारण अंक में दिनांक 27.11.97 तक इस उद्घोषणा का प्रकाशन सुनिश्चित करें ।

अनुलग्नक : यथोक्त

ह0/-
समाहर्त्ता, जमुई

ज्ञापांक 350 /विधि, दिनांक 9 . [illegible]

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को इस उद्घोषणा की दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ व्यापक प्रचारार्थ एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमुई/अंचल अधिकारी, जमुई को इस उद्घोषणा की दस-दस प्रतियों के साथ व्यापक प्रचारार्थ एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सम्बन्धित पंचायत सेवक/जनसेवक/राजस्व कर्मचारी/चौकीदार/दफादार के माध्यम से क्षेत्र में इस उद्घोषणा का व्यापक प्रचार करायें ।

3. अध्यक्ष अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमुई को इस उद्घोषणा की एक अतिरिक्त प्रति के साथ कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ

सभी पदाधिकारी इस उद्घोषणा के प्रचार एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित किए जाने का प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।

अनुलग्नक - यथोक्त

समाहर्त्ता, जमुई

ज्ञापांक 350 /विधि, दिनांक 25-11-97

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. अपर जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जमुई को दो प्रतियों में व्यापक प्रचारार्थ प्रेषित ।

समाहर्त्ता, जमुई

ज्ञापांक 350 /विधि, दिनांक 25-11-97

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वनरोपण प्रमंडल, जमुई/सहायक वन संरक्षक, जमुई वन रोपण प्रमंडल, जमुई को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

समाहर्त्ता, जमुई